कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,रामपुर

पत्रांक :- 2288/प्रा० खि० दिनांक :- 18/07/2018

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी
संयुक्त कार्यालय,
कार्यालय जिलाधिकारी,
रामपुर।

विषय :- ग्राम चन्दुपुरा सीकमपुर, तहसील–टाण्डा, जिला–रामपुर के गाटा संख्या 267 व 270 पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्र सं0–484/जे0ए0–2 दिनांक 15–06–2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित कार्यवाही के उपरान्त पूर्ण प्रकरण आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रश्नगत प्रकरण में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनापत्ति हेतु लगायी गयी किसी भी शर्त का अनुपालन न होने पर यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार पूर्ण प्रकरण मूलरूप में।

(संजय कुमार श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,रामपुर

पत्रांक :- / दिनांक :- / /2018

1– प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद महोदय को मुरादाबाद क्षेत्र कार्यालय के पत्रांक–4058/154काम–मु0क्षे0/18 दिनांक 16–07–2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर को मुख्य अभियन्ता के पत्र दिनांक 16–07–2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,रामपुर

शील कृष्ण धवन / Shil Krishan Dhawan
वरिष्ठ प्रबंध (रिटेल सेल्स) /Sr. Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
35-ए, कमला नेहरू मार्ग/35-A, Kamla Nehru Marg
बरेली-243001 (उ.प्र.)/Bareilly-243001 (U.P.)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।

पत्रांक :- 4058 /154काम-मु0क्षे0/18 दिनांक- 16-7-2018

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रामपुर।

विषय :- ग्राम चन्दपुरा सीकमपुर तहसील-टाण्डा, जिला-रामपुर के गाटा सं0-267 व 270 पर रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) को स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर का पत्रांक-2382/51काम-रा0वृत/18 दिनांक 10.07.2018

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तों के तारतम्य में ग्राम चन्दपुरा सीकमपुर तहसील-टाण्डा, जिला-रामपुर के गाटा सं0-267 व 270 पर रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0 बरेली को निम्न शर्तों के साथ लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है :-

1- मानचित्र मानक के अनुसार बने है। प्रस्तावित निर्माण का कार्य जैसा कि मानचित्र में दर्शाया गया है, के अनुसार ही कराना होगा एवं मार्ग की स्थाई भूमि सड़क के मध्य से 24.00 मीटर प्रमाणित की जाती है। कोई भी निर्माण सड़क के मध्य से 25.00 मीटर की दूरी के अन्दर नही किया जायेगा।

2- प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।

3- आवेदक के विरूद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट-1945 की धारा-13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।

4- प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है।

5- प्रस्तावित स्थल ग्राम चन्दुपुरा सीकमपुर, तहसील-टाण्डा, जिला रामपुर के गाटा संख्या-267 व 270 में स्थित है।

6- प्रस्तावित निर्माण कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

7- रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 1.00 किमी0 की दूरी पर सर्विस बेरियर नहीं है।

8- बफर स्ट्रिप 12.00 मी0 लम्बाई एवं 3.00 मी0 चौडाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौडाई 24.00 मी0 (2x12.00 मी0) है।

9- प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0-12-2009 के अनुसार किया जाये।

10- आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की बफर स्ट्रिप 25.00 मी0 है।

क- आवेदक को रिटेल आउटलेट पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्चे से मान चित्रानुसार ओपन ड्रेन(नाली) एवं दोनो ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0, की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 15 वर्षो के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (Annexure-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है एग्रीमेन्ट की फीस सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जमा करायी जायेगी। प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।

ख- आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पैट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात् मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।

ग- आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वंय के इस्तेमाल एवं वर्षा के पानी का बाहव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा मे रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहियें एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।

घ- फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.30 मी0 नीचा रखा जायेगा।

11- प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईड खन्ती में 1.00 मी0 चौडाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाईप के कैटिल केचर बनाये जायें ताकि वर्षा का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साईट ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में जा सके। किसी भी दशा में नाली/नाले

श्रीकृष्ण धवन/Shri Krishan Dhawan
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स)/Sr. Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
35-ए, कमला नेहरू मार्ग / 35-A, Kamla Nehru Marg
बरेली-243001 (उ.प्र.) / Bareilly-243001 (U.P.)

F:\DK\World\Petrol Pamp.doc

को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।

12- प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0-13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।

13- बफर स्ट्रिप के पास हैजिज की ऊँचाई 60 सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।

14- प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शें के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य प्रस्तावित मानचित्र दर्शित दूरियों को परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

15- प्रस्तावित स्थल के ऊपर 100 मी0 कच्चा एवं 300 मी0 पक्का दोनों ओर कोई रोड क्रोसिंग नहीं होनी चाहिये।

16- यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

17- प्रस्तावित पैट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के पूर्व आवेदक को अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर से लाईसेन्स डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है।

18- भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

19- लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहूँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा'। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0-33023-19/99-डी0ओ0 तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाईडलाईनों का अनुपालन करना होगा।

20- उक्त के अतिरिक्त शा0सं0-RW/NH/19-DO-II दिनांक 24.07.2013 के प्रस्तर-5 जिसके अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिये मुबलिक रू0 2,00,000.00 (रू0 दो लाख मात्र) एकमुश्त लाइसेन्स के रूप में एवं 5 प्रतिशत प्रोसेसिंग फीस के रूप में मुबलिक रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) जमा करने हेतु **इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन** लिमिटेड बेरली के डीलर के नाम से शपथ पत्र ले लिया जाये।

संलग्नः- 1-मानचित्र दो प्रतियों में।
2-एनक्जर एवं चैक लिस्ट।
3-अधी0अभि0, रामपुर का पत्र सं0-2382/51काम-रा0वृत/18 दि0 10.07.2018 के पत्र की छाया प्रति।

16/7/18
(ए0के0 गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर को उनके पत्रांक-2382/51काम-रा0वृत/18 दिनांक 10.07.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

शील कृष्ण धवन/Sheel Krishan Dhawan
वरिष्ठ प्रबंध (रिटेल सेल्स)/Sr. Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
35-ए, कमला नेहरू मार्ग/35-A, Kamla Nehru Marg
बरेली-243001 (उ.प्र.)/Bareilly-243001 (U.P.)

154 काम
अभि0-25

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
रामपुर वृत्त,लो0नि0वि0, रामपुर।

51 काम
पत्रांकः— 2382/~~20काम~~–रा0वृत्त/18 दिनांकः— 10 /07/2018

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

विषयः— ग्राम चन्दपुरा सीकमपुर, तहसील–टाण्डा, जिला–रामपुर के गाटा सं0– 267 व 270 पर रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर का पत्रांक 2169/प्रा0वि0 दिनांक 07.07.2018 (छाया प्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्तावित स्थल ग्राम चन्दपुरा सीकमपुर, तहसील–टाण्डा, जिला–रामपुर के गाटा सं0– 267 व 270 पर रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) लगाये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर के सन्दर्भित पत्र द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त अनापत्ति हेतु संस्तुति सहित मानचित्र संलग्न करते हुए पूर्ण प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर पूर्ण प्रकरण दो मानचित्रों के साथ अग्रिम व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः— 1. एनेक्जर एवं चैक लिस्ट।
2. मानचित्र दो प्रति मूल मे।
3. अधि0 अभि0 के सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति।

10/7/18
(यशपाल सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता,
रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर।

प्रतिलिपि :— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर।

शील कृष्ण धवन / Sheel Krishan Dhawan
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री) / Sr. Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
35-ए, कमला नेहरू मार्ग/35-A, Kamla Nehru Marg
बरेली-243001 (उ.प्र.)/Bareilly-243001 (U.P.)

क्राम (H) जेए0
1/7/18

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,रामपुर

51 आरक्ष
51-15

पत्रांक— 2169 / प्रा0वि0 दिनांक:— 07/07/2018

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0,
रामपुर।

विषय— ग्राम चन्दुपुरा सीकमपुर, तहसील—टाण्डा, जिला—रामपुर के गाटा संख्या 267 व 270 पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ— प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय, कार्यालय जिलाधिकारी, रामपुर का पत्र सं0—484 / जे0ए0—2 दिनांक 15.06.2018 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय, कार्यालय जिलाधिकारी, रामपुर के पत्र सं0—484 / जे0ए0—2 दिनांक 15—06—2018 से प्राप्त विषयगत प्रकरण में अनापत्ति दिये जाने से सम्बन्धित आख्या आपको इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि प्रश्नगत प्रकरण अपने माध्यम से मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने की कृपा करें।

प्रस्तावित निर्माण **ग्राम चन्दुपुरा सीकमपुर, तहसील—टाण्डा, जिला—रामपुर** के गाटा संख्या 267 व 270 पर इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, बरेली के प्रस्तावित रिटेल आउटलेट विकसित किया जाना दर्शाया है। लोक निर्माण विभाग की ओर से निम्न प्रतिबन्धों के साथ यू0पी0 रोड़ कन्ट्रोल एक्ट—1945 के अन्तर्गत अनापत्ति देने की संस्तुति की जाती है।

1. मानचित्र मानक के अनुसार बने हैं। प्रस्तावित निर्माण का कार्य जैसा कि मानचित्र में दर्शाया गया है, के अनुसार ही कराना होगा एवं मार्ग की स्थाई भूमि सड़क के मध्य से 24.00 मीटर प्रमाणित की जाती है। कोई भी निर्माण सड़क के मध्य से 25.00 मीटर की दूरी के अन्दर नहीं किया जायेगा।
2. प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
3. आवेदक के विरूद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा—13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है।
5. प्रस्तावित स्थल **ग्राम चन्दुपुरा सीकमपुर, तहसील—टाण्डा, जिला—रामपुर** के गाटा संख्या 267 व 270 में स्थित है।
6. प्रस्तावित निर्माण स्थल कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
7. रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिए 1.00 किमी0 की दूरी पर सर्विस बेरियर नहीं है।
8. बफर स्ट्रिप 12.00 मी0 लम्बाई एवं 3.00 मी0 चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौड़ाई 24.00 मी0 (2x12.00 मी0) है।
9. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0—12—2009 के अनुसार किया जाये।
10. आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की बफर स्ट्रिप 25.00 मी0 है।
    - (क) आवेदक को पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्चे से मानचित्रानुसार ओपन ड्रेन (नाली) एवं दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 15 वर्षों के लिए लीज डीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (Annexure-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है प्रार्थी का लीज डीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।
    - (ख) आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पश्चात मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध उत्पन्न न होने पाये।
    - (ग) आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षा के पानी को बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में पेट्रोल पम्प का पानी मार्ग की सतह पर नहीं आना चाहिए एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।
    - (घ) फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.30 मी0 नीचा रखा जायेगा।

शील कृष्ण धवन/Sheel Krishan Dhawan
वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)/Sr. Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
35-ए, कमला नेहरू मार्ग, 35-A Kamla Nehru Marg
बरेली-243001 (उ.प्र.)/Bareilly-243001 (U.P.)

क्रमशः पेज—2 पर

11. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साइड खन्ती में 1.00 मी0 चौड़ाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाइप के कैटिल केचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधापूर्वक रोड साइड ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सके। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द न किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।

12. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0 13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।

13. बफर स्ट्रिप के पास ग्रीन हैजिज की ऊंचाई 60 सेमी से ऊपर न रखी जाये।

14. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0 मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य प्रस्तावित मानचित्र दर्शित दूरियों को परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

15. प्रस्तावित स्थल के ऊपर 100 मी0 कच्चा एवं 300 मी0 पक्का दोनों ओर कोई रोड क्रासिंग नहीं होनी चाहिए।

16. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो, तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

17. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने से पूर्व आवेदक को अधिशांसी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 रामपुर से लाईसेंस डीड कराना आवश्यक होगा।

18. भू–स्वामित्व के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग उत्तरदायी नहीं होगा, जिसका सत्यापन राजस्व विभाग से कराना आवश्यक होगा।

19. लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो आवेदक को अपने खर्च पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिए किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू /एन0एच0–33023–19/99–डी0ओ0 तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाइडलाईनो का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

20. उक्त के अतिरिक्त शा0सं0–RW/NH/19-DO-III दिनांक 24–07–2013 के प्रस्तर–5 जिसके अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिए मुबलिक रू0 2,00,000.00 (रू0 दो लाख मात्र) एकमुश्त लाईसेन्स के रूप में जमा करने तथा 5 प्रतिशत जो मुबलिक रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) के शपथ पत्र फर्म/कम्पनी के डीलर के नाम से ले लिए गये है।

संलग्नकः–

1. उपरोक्तानुसार पूर्ण प्रकरण मूल में।
2. एनेक्जर–I, II एवं चैक लिस्ट मूल में।

07/07/18

(संजय कुमार श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रामपुर

पत्रांक – /प्रा0वि0 दिनांक :– / /2018

प्रतिलिपि खण्डीय कैशियर, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर को एच.डी.एफ.सी. बैंक, रामपुर द्वारा निर्गत ड्राफ्ट सं0–001595 दिनांक 25.06.2018 रू0 2,00,000/– (रू0 दो लाख मात्र) एवं ड्राफ्ट सं0–001596 दिनांक 25.06.2018 रू0 10,000/– (रू0 दस हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 2,10,000/– मूल रूप में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि अपने स्तर से अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार 2 ड्राफ्ट।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रामपुर

शील ... वरिष्ठ ... अभियन्ता
इंडि... Indian Oil ... (M.D.)
35–ए, कमला नेहरू मार्ग/35-A, Kamla Nehru Marg
बरेली-243001 (उ.प्र.)/Bareilly-243001 (U.P.)